Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 7 | ISSUE : 1 | JANUARY 2021

मुगलकाल में भारतीय समाज और धर्म की स्थिति : एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. संतोष कुमारी [1]

[1] एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, बावड़ी (जोधपुर)

ABSTRACT:

भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना स्वयं में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। 1192-93 ई. में तराइन विजय के बाद भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना के पूर्व दिल्ली सल्तनत भारत में मुस्लिम साम्राज्य एवं शक्ति का सन् 1206-1526 ई. तक के काल का विस्तृत इतिहास है। इसमें दास वंश (1210-1290 ई.), खिलजी वंश (1290–1320 ई.), तुगलक वंश (1320-1414 ई.). सैय्यद वंश (1414-1451 ई), लोदी वंश (1451-1526 ई) का इतिहास निहित है। इसके पश्चात् भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला जहीरूद्दीन मोहम्मद बाबर हुआ जिसने पानीपत के युद्ध के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसे इसके लिए अपने जीवन काल में प्रादेशिक शक्तियों से लगातार संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उसने अपने साम्राज्य को दूर-दूर तक फैला दिया और मुगल साम्राज्य को विस्तार प्रदान किया।

मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय भारतीय समाज प्रमुखतया दो वर्गों में विभक्त था, हिन्दू और मुसलमान। हिन्दू समाज का मूल आधार जातिप्रथा और वर्ण व्यवस्था थी, समाज में कई जातियाँ और उपजातियाँ थीं। हर व्यवसाय, शिल्प और सामाजिक व धार्मिक कार्य के लिये जाति थी। समाज में जन्म से जाति निर्दिष्ट होती थी, कर्म से नहीं। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था, वह उसी जाति का व्यवसाय करता था, उसे वह परिवर्तित नहीं कर सकता था। विदेशी मुस्लिम शासन से, समाज, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिये, हिन्दू रक्त की पवित्रता बनाये रखने के लिये जातियों के नियम और नियंत्रण अब पहिले की अपेक्षा अधिक जटिल कर दिये गये थे। इस प्रकार मुगलकालीन भारतीय समाज और धर्म व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां एवं संघर्ष देखने को मिलता है।

KEYWORDS:

मुगलकाल, भारतीय समाज, धर्म, स्थिति, ऐतिहासिक अध्ययन।

आलेख प्रस्तुति

भारत पर तुर्की आक्रमण के बाद से हिंदू समाज की दशा अत्यधिक शोचनीय हो गई थी। यह उच्च, निम्न एवं अछूत जातियों में विभाजित समाज में देखने को मिलती थी। जाति बंधन एवं जाति संकीर्णतायें पहले से और अधिक कठोर हो गयी थीं। शूद्र दो भागों में बंट गए थे। जिन्हें अधिक हीन समझा जाता था। वह अस्पृश्य जाने जाने लगे थे। अन्य मिश्रित जातियों की संख्या भी बढ़कर 64 हो गई थी। यह भी दो अनुलोम और प्रतिलोम वर्ग में विभाजित हो गए थे। अनुलोम वर्ग में उच्च जाति पिता और निम्न जाति की माता की संतान होती थीं, जिन्हें द्विज कहा जाता था। जो यज्ञोपवीत धारण करने तथा धार्मिक कृत्य करने के अधिकारी थे। प्रतिलोम वर्ग के लोगों में निम्न जातीय पिता व उच्च जातीय माता की संतान होने के कारण इन्हें निम्न जाति का माना जाता था। यह बात निःसंदेह है कि समाज के निम्न वर्ग के प्रति भेदभाव किया जाता था। यहां तक कि उन्हें घृणा और ईर्ष्या की नजर से देखा जाता था। लेकिन अलबरूनी ने जो वैश्य, शूद्र जातियों तथा अस्पृश्यों की दशा का चित्रण किया है वह अतिशयोक्ति पूर्ण दृष्टिगोचर होता है। यह 11वीं शताब्दी की यथार्थ स्थिति न होकर हिंदू स्मृतियों से लिया गया प्रतीत होता है।

1526 ई से लेकर 1803 ई तक का युग मुगल युग के नाम से जाना जाता है इसमें देश की जनसंख्या में हिंदुओं का अत्यधिक बहुमत था। जैन बौद्ध और सिख सभी हिंदुओं में गिने जाते थे। ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और बौद्ध उच्च वर्ग के माने जाते थे। उनमें आपस में अंतर्जातीय खानपान वैवाहिक संबंध न के बराबर थे। ब्राह्मण पूजापाठ, धर्मकर्म, और अध्ययन कार्य करते थे। वे मुस्लिम काल के पूर्व समय में खेती-बाड़ी नहीं करते थे। गुजराती नागरों जैसे उनके छोटे से वर्ग में फारसी पढ़ना शुरू कर दिया था और वह प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाने लगे थे। राजपूत मुख्यतः सैनिक योद्धा थे। उनके जातीय प्रमुख बड़े-बड़े प्रदेशों के शासक थे और मुगलशाही सेवा में उच्चपदीय मनसबदार भी थे। वैसे जाति के लोग व्यापारी वर्ग के होते थे और कायस्थ लोग अधिकतर लिपिक, मुंशी तथा मालगुजारी के अधिकारी रहा करते थे। देश के कुछ भागों के और विशेष कर बंगाल की तरफ के लोग नीचे जाति के हिंदू परिस्थितियों से लाचार होकर मुसलमान बन गए थे। इसी प्रकार पंजाब और कश्मीर के उच्च जाति हिंदुओं ने भी विवश होकर मुसलमान धर्म को अपना लिया था। मुगल काल में कई नई उपजातियां का प्रादुर्भाव भी दिखाई देता है जैसे कश्मीर के ब्राह्मणों में काजी, तोषखानी, आगा, मुल्ला आदि और गुजरात में मुंशी आदि का प्रादुर्भाव हुआ।

मुगलकाल में भारतीय समाज की स्थिति

मुगल काल के चलते हिन्दु समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए। वास्तविकता तो यह है कि, इस काल में हिन्दुओं का नैतिक और भौतिक पतन ही हुआ। इस काल के शासक अत्याचारी थे। ईमानदारी और सच्चाई को कोई प्रोत्साहन ही नहीं था। बल्कि प्रजा का दमन कर उसका उत्साह भंग करते हुए जो कुछ किया जा सकता था वह किया जा रहा था। अकबर के शासनकाल से लेकर औरंगजेब के शासन के प्रथम दस वर्षों तक हिन्दुओं ने धार्मिक सहनशीलता तथा कार्य करने की ओर स्वयं के तरीकों से जीवनयापन कर स्वतंत्र उपभोग किया। लेकिन तब भी न्याय और सहनशीलता के इस रूप में अत्याचार के विरुद्ध किसी भी पुरुषोचित साहस और स्पष्टवादिता को सहन नहीं किया जाता था। फलस्वरूप हिन्दुओं ने विभिन्न प्रकार से छलकपट, दंभ, द्वेष, धूर्तता, धोखाधड़ी व चापलूसी जैसी आदतों का सहारा लेना शुरु कर दिया था।

संपूर्ण सल्तनत काल में विदेशी मध्य एशिया मुस्लिम व्यक्ति ही शासन में रहे। विशेष कर 13वीं 14वीं और 15वीं शताब्दी के अर्धशतक तक तुर्कों ने और 15वीं शताब्दी के अंतिम अर्धशतक से 16वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक अफ़गानों ने सम्पूर्ण भारत पर शासन किया था। ईरानी अरब अबीसीनियन और मिश्रित तुर्कों के सहयोगी रहे थे। शासक वर्ग में यह सब विदेशी जातियों में आते थे। उनमें तुर्क अपने विदेशी सामंती गौरव को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सर्वाधिक आतुर रहते थे। यथार्थ में संपूर्ण 13वीं शताब्दी में वही इन सब विदेशियों के नेता बने रहे। हिंदुस्तान की संपूर्ण शक्ति तुर्कों के हाथ में रही। इस समय वही एशिया के मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे थे। तुर्क जाति विभेद की नीति में विश्वास करती थी। इसलिए उन्होंने मुसलमान तक को अपनी शासन की शक्तियों में सम्मिलित नहीं किया। अपितु सरकारी नौकरियां तक से भी उन्हें वंचित रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर केकुवाद तक सल्तनत की यही कठोर नीति समाज में प्रचलित रही। प्रशासकीय सत्ता पर तुर्कों का ही एकाधिकार बना रहा और बलबन तो खुले रूप में निम्नवर्गीय अतुर्कों को से नफरत करते थे। 13वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशियाई देशों से असंख्य मुस्लिम शरणार्थी भारत आए। जिन्होंने शासक वर्ग की संख्या में और अधिक वृद्धि की। ऐसा होने से विभिन्न जातीय देसीय मुसलमानों का भी सम्मिलन हुआ। तुर्कों को जिस रक्तीय शुद्धता पर अत्यधिक अभिमान था उसका स्थान अब मिश्रित जातियों ने ले लिया था। खिलजी वंश के शासनकाल में तो सामाजिक शक्तियां इतनी प्रबल हो चुकी थी कि तुर्कों का सत्ता पर से एकाधिकार समाप्त होने

लगा। तथा सल्तनत काल के इतिहास में सर्वप्रथम धर्म परिवर्तन द्वारा भारतीय मुसलमान को शासन में स्थान देने की नीति के लिए अपनाया गया। जिसका श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। उसका गुलाम मलिक काफूर कुछ विकृत स्वभाव का था लेकिन फिर भी उसमें अनेक योग्यताएं निहित थीं। अतः अलाउद्दीन ने इसी मलिक काफूर को अपने शासन में नायक के रूप में नियुक्त किया था। यह नीति तुगलकों के काल में भी अपनाई जाती रही। फिरोजशाह तुगलक का प्रधानमंत्री खानेजहां मकबूल और उसका पुत्र स्वयं पहले से हिंदू थे। उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। दोनों भारतीय मुसलमान को शासन में लेने की नीति को प्रोत्साहन दिया गया और नए मुसलमानों को संरक्षण प्रदान किया गया।

मुस्लिम समाज के निम्न वर्ग में कारीगर, दुकानदार, मुंशी एवं छोटे-छोटे व्यापारी आते थे। इन सबके नीचे कलंदर और फकीर थे। सूफी संतों का अलग ही अपना एक महत्वपूर्ण वर्ग था। इन संतों के आवास नगर के बाहर थे जिसका बहुत बड़ा प्रभाव समाज पर था। इस काल में मुसलमान मुख्यतः नगरों में ही निवास करते थे। बहुत थोड़े ही मुस्लिम व्यक्ति गांव तक पहुंचे थे। मुस्लिम आबादी का एक भाग गुलामों का था। इनकी संख्या बहुत अधिक थी। इनका कार्य घरेलू कार्यों को करना तथा शाही कारखाने में लगे रहना था, इन पर फकीरों का भी प्रभाव था। उनकी निर्धनता को स्वर्ग का मार्ग समझा जाता था।

मुगलकालीन समाज के मुस्लिम व्यक्तियों को नगरों में रहना ही पसंद था। देहाती जीवन से वह भयभीत होते थे। यद्यपि अधिकतर सैनिक और राजकीय नागरिक भी थे, लेकिन उनमें से कुछ व्यापार व्यवसाय में भी संलग्न थे। कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जो दुकानदारी और मकतबों में अध्यापक का कार्य करते थे। कुछ मुसलमान खेती-बाड़ी भी करते थे। कारीगरों में अधिकतर हिंदू थे, जिनको मुसलमान बना लिया गया था। मुसलमान विजेताओं ने कारीगरों को ही सबसे पहले मुसलमान बनाकर अपनी इमारतें बनाने के लिए लगाया था। कुछ मुसलमान भित्ति, कताई, शव नहलाने, खुदाई करने वाले, चित्रकार और हकीम भी थे। उनमें से कुछ सुंदर लिखाई का काम भी किया करते थे जैसे कुरान की नकलें करना आदि। बहुत से मुसलमान जुलाहे, धोबी, बढ़ई, नाई, लोहार, दर्जी और लकड़हारे भी थे। हिंदुस्तानी मुसलमानों की संख्या अधिक नहीं थी।

मुगलकालीन भारतीय समाज में मुसलमान स्त्रियों की अरब स्त्रियों के समान बहुत अच्छी दशा नहीं थी। भारत में वे सदैव से पुरुषों के अधीन रहती रहीं। उस समय समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। जिसके कारण मुस्लिम स्त्रियां पतियों की मनमानी को सहन करती थीं। कोई भी स्वतंत्र जन्मा मुसलमान एक ही साथ चार पत्नियों को रख सकता था। इसलिए मुस्लिम परिवार में कोई भी स्त्री गृहस्वामिनी होने का दावा नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उस समय समाज का यह मानना था कि, किसी परिवार की प्रतिष्ठा उस परिवार की महिलाओं के शुद्ध आचरण पर निर्भर है। तत्कालीन समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। उच्च वर्गीय स्त्रियां लगभग सदैव बुर्का पहन कर रहती थीं। मुसलमान अपनी पत्नियों पर बड़ी नजर रखते थे। समीप के संबंधियों तक को उनकी झलक नहीं मिलने देते थे। उच्च घराने की मुस्लिम स्त्रियों को कुरान तथा धर्म ग्रंथ पढ़ाये जाते थे। मध्ययुगीन भारत में अनेक स्त्रियों शिक्षित थीं उस समय इस्लामी राज्य का आदर्श पूर्ण व्यवहार महिलाओं के प्रति परिलक्षित होता है।

मुगलकालीन समाज में हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार और अनाचार होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में काजी मुगितउद्दीन ने भी यही मांग की थी। उसने कहा था कि हिंदू पैगंबर के सबसे बड़े शत्रु हैं, अतः खुदा के आदेश के अनुसार या तो हिंदुओं का पूर्ण दमन कर दिया जाए या फिर उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया जाए अथवा उनको अपना गुलाम बना लिया जाए और उनके राज्य संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया जाए। केवल महान विद्वान अबूहनीफ ही हिंदुओं पर जजिया लगाने की अनुमति देते हैं। जबकि अन्य विद्वानों का यही मत है की मृत्यु या इस्लाम के सिवा उन्हें कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण मुगलकालीन समाज में देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा यह परिलक्षित होता है कि तत्कालीन समाज के मुस्लिम शासको ने हिंदुओं पर कितने अत्याचार किये। इसके बाद भी वह अपने मंसूबों में पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाए इसका एकमात्र कारण यही था कि हिंदू संख्या में अधिक थे तथा उस समय सैनिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी उनकी बहुत पहुंच थी।

तत्कालीन समाज में कुरान के विभिन्न कठोर नियमों को क्रियान्वित नहीं किया गया था। अतः सुल्तानों ने बाध्य होकर हिंदुओं को जिम्मियों के समान रहने दिया था। जिम्मी वह लोग थे जो जजिया नामक विशेष कर शासन को प्रदान करते थे। जिसके बदले में तत्कालीन शासन व्यवस्था नागरिकों को द्वितीय श्रेणी में रहने देती थी। यह जजिया काफी अधिक होता था। हिंदू वर्ग के धनी लोगों को 48,सामान्य लोगों को 24 और निर्धन व्यक्तियों को 12 चांदी के सिक्के जजिया के रूप में कर में देने होते थे। सन्यासी, भिक्षु, अंधे तथा बच्चे इससे मुक्त थे।

मुगलकालीन समाज में उल्मा, काजी और शिक्षित वर्ग के लिए नौकरी का क्षेत्र बहुत सीमित था। उल्माओं को राज्य की ओर से वजीफे प्रदान किए जाते थे अथवा जागीर दे दी जाती थी। यह जागीर बादशाह की स्वीकृति पर सदरे सदूर द्वारा दी जाती थी। इस प्रकार विद्वानों और धार्मिक आचार्य को राज्य की ओर से सहायताएं प्रदान की जाती थी।

दास प्रथा भारत में प्राचीन काल से प्रचलित थी। सल्तनत काल में तो एक राजवंश भी गुलाम वंश के नाम से प्रसिद्ध रहा है। फिरोज तुगलक के समय दास प्रथा का बड़ा विस्तार हुआ। उसके निजी दासों की संख्या 180000 थी।

मुगलकाल में धर्म की स्थिति

"पन्द्रहवीं शताब्दी के समान सोलहवीं शताब्दी भी धार्मिक विप्लव का युग था।" मुगलकाल में विभिन्न धर्मो का प्रचार था। इस्लाम धर्म, हिन्दू धर्म, जैन धर्म, सिक्ख धर्म, दीन इलाही धर्म, ईसाई धर्म आदि सभी का अस्तित्व समाज के मध्य परिलक्षित होता था।

देशी और विदेशी मुसलमान इस्लाम धर्म को मानते थे। इस काल में इस्लाम धर्म का बोलबाला था। मुगलों के आगमन से पूर्व ही मुस्लिम शासक यहाँ शासन कर चुके थे। अतः इलाहाबाद के क्षेत्र में हिन्दूओं और मुस्लिमों की अधिकतर जनसंख्या थी जो अपने धार्मिक विश्वासों और धार्मिक कृत्यों को साथ -साथ अनुपालन करते थे। परिणाम स्वरूप दोनो धर्म एक दूसरे को प्रभावित करते थे और दोनो ही धर्मों में कुछ तत्व इस प्रभाव के कारण समान हो गए थे। स्थान-स्थान पर मस्जिदें बनवाई जाती थी। मुसलमान धार्मिक सन्तों की दरगाह को तीर्थ स्थान मानते थे। इनमें शिया व सुन्नी दो समुदाय थे। सुन्नी की संख्या अधिक थी। 'शिया धर्म के अनुयायी भी बढ रहे थे। यह कटटरपंथी, हिन्दू धर्म को मानने वाले अधिक संख्या में थे। कुछ मुगल सम्राट हिन्दू धर्म को भी आदर भाव से देखते थे. जिसमें बड़ा श्रेय अकबर बादशाह को आता है। अकबर ने इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ साथ हिन्दू धर्म की रक्षा भी की। हिन्दू धर्म में व्रत, उपवास तथा पूजा का धार्मिक जीवन में बड़ा महत्व था। गंगा, जमुना, कावेरी तथा नर्मदा नदियों को पवित्र माना जाता था। जिसमें स्नान तथा जलपान से हिन्दू अपने को पवित्र मानता था। हिन्दू डी "राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति ऐसे दो समुदायों में विभक्त थे, तथा अपने अपने ढंग से उपासना विधि का प्रतिपादन करते थे। इस काल में हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही अपने अपने धर्म को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते थे।

सूफी विचारधारा

इस समय सूफी धर्म ने हिन्दू समाज को कुछ प्रभावित किया था। सूफी सम्प्रदाय का पूर्व हिन्दू वेदान्त की ही देन थी। सूफीवाद से प्रभावित होकर हिन्दू, मुस्लिम पीरों तथा फकीरों को पूजते थे। रामानन्द, कबीर, दादू नानक और चैतन्य आदि ऐकेश्वर वाद में विश्वास करने लगे थे। सूफी मत ने हिन्दुओं एवं मुस्लिमों को काफी कुछ निकट लाने का प्रयत्न किया। सूफी मत में ऐकेश्वर एवं अद्वैत धार्मिक भावना प्रबल थी। अकबर और उसके प्रपौत्र दाराशिकोह के उदार संरक्षण में सूफी मत का खूब विकास एवं प्रचार हुआ।

हिन्दुओं की धार्मिक भावना

मुगल काल में हिन्दुओं के विचारों पर एक प्रथा जिसे "भक्ति आन्दोलन" कहा जाता था प्रभावी था। श्री रामानुजाचार्य ने 'भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र साधन बताया था।

भक्ति आन्दोलन के रूप

एक पथ था परब्रह्म का जिसे 'सगुण ब्रहम' कहा जाता था। इनके अनुसार 'ब्रह्म' के बहुत से गुण होते हैं जैसे 'सत' 'चित' और 'आनन्द'। 'ब्रह्म' के इस ब्रह्माण्ड में अनेक रूप में विद्यमान है वह पेड़ पौधों में पहाड़ों में, पत्थर में नदियों में, हर जगह विद्यमान है। भक्ति की इस प्रथा को 'सगुण भक्ति' कहा जाता है। सरल अर्थों में जिस ईश्वर को किसी आकार प्रकार नाम आदि के रूप में पूजा गया वह सगुण ब्रह्म के रूप में जाना गया जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण आदि। इस काव्य धारा में तुलसी और मीरा रसखान आदि विभिन्न कवियों ने ईश्वर के भक्ति में रूप को समाज के सामने प्रस्तुत किया।

ब्रह्म के दूसरे रूप को निर्गुण ब्रह्म कहा गया, जिसमें मानव मन की आत्मिक वैचारिक अनुभवों की अभिव्यक्ति को महत्व प्रदान किया गया। ब्रह्म की प्रकृति स्पष्ट करने के लिए उसे शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव था। क्योंकि उसका कोई विशेष गुण, रूप, नाम आदि नहीं

था। ब्रह्म के इस स्वरूप के अनुयाई निर्गुण संत कहे जाते थे। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति की इस प्रथा ने बहुत से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। इन श्रद्धालुओं में श्रेष्ठ संत थे स्वामी रामानंद और उनके बाद निरंतर उनके अनुयाई। रामानन्द के अनुयायी थे अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती. नर हरियानंद, पीपा, भवननंदा, रायदास, धन्ना, सेना, सुरसुरी। स्वामी रामानंद एक बुद्धिमान व्यक्ति थे उनका उत्तर भारत में अत्यधिक प्रभाव था। रामानन्द ने उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन को गति प्रदान की। उस अवधि में जिसमें कबीर आए और अपने उपदेश दिए। इस्लाम के प्रभाव के कारण रामानंद, धार्मिक और सामाजिक रीतियों के विषय में कम अनुशासनशील थे। वह जाति प्रथा के कठोर विरोधी थे। रामानन्द के इसी विचार का कबीर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।

उत्तर भारत के महत्वपूर्ण संत थे, कबीर जो निर्गुण भक्ति प्रथा के अनुयायी थे। अपनी शिक्षा से उन्होंने अपने विचारों को एक सही दिशा दी। उन्हें संत प्रथा का संस्थापक माना जाता है।

"अगस्त्य संहिता के उत्तर काल का प्रकाशन "भविष्योत्तर खंड" में रामानंद के अनुयायियों की परंपरा का उल्लेख था। उसमें यह प्रकाशित था कि रामानंद का जन्म 1299 ई0 में प्रयाग में हुआ था और उनकी मृत्यु 1410 ई० में हुई थी। रामानन्द का जन्म काव्य कुंज ब्राम्हण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रयाग और काशी से ग्रहण की थी। उनके प्रथम गुरु थे वेदांतिस इसके पश्चात् वह राघवानन्द के अनुयायी बन गये। जो कि रामानुज के श्री सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके विचार उनके गुरु से भिन्न है, तो रामानन्द ने अपना स्वयं का विद्यालय खोल लिया।

रामानन्द ने अपने जीवन का श्रेष्ठ भाग, काशी में धार्मिक गुरु के रूप में व्यतीत किया। रामानन्द ने पाया की जाति प्रथा की कठोरता के कारण निम्न वर्ग के हिन्दुओं ने इस्लाम धर्म धारण किया। उन्होंने यह उपदेश दिया कि जाति को धार्मिक मार्ग अपनाने में रुकावट नहीं मानना चाहिए।' उनकी शिक्षा ने निम्न वर्ग के हिन्दुओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया"।

उसी समय हिन्दुओं में भी सूफी पंथ की भाँति एक समान दर्शन और पंथ का विकास हुआ जिसे भक्ति आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। भक्ति आन्दोलन विकास ने मुस्लिम सूफी पंथ के फलने-फूलने, और उसकी उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम सूफी पंथ भी अत्यधिक प्रचलित और व्यापक पंथ बन गया। सूफी पंथ के चार चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी मत थे। यह सूबे का सबसे महत्वपूर्ण मत था। उनके कार्यों का मुख्य केन्द्र था जौनपुर, जफराबाद एवं मानिकपुर।

चार महत्वपूर्ण सूफी मतों के अतिरिक्त शतारिया व मदारिया उपमत थे। शतारिया संघ की स्थापना शेख अब्दुल्ला शतारी ने की थी जो अब्दुल्ला शहाबुद्दीन सुहार्दी के वंशज थे। सूफी संतों का यह मानना था कि कुछ रहस्यमयी गतिविधियों के द्वारा कोई भी मनुष्य सबसे कम अवधि में फना वा बाका' की दशा में पहुच सकता है अर्थात् वह जीवन और सम्पूर्ण विनाश की दशा को प्राप्त कर सकता है। इन सभी सूफी पंथों में ख्वाजा करक, मुल्ला दाऊद, शेख तक्की, शेख काजी खान, सैयद अली कवाम, शेख बुधान, सैयद अली, मलिक मोहम्मद जायसी, शेख मोहम्मद गाउस, मंझन, शेख अधन, शेख निजामुद्दीन, उस्मान, शेख नबी, शेख मुहिबुल्लाह आदि प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे।

इस प्रकार मुगल काल में विभिन्न धर्म एवं मतावलंबी अपने-अपने अनुसार अपने ईष्ट देव को भजते थे और समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की विषमताओं, विडंबनाओं, अत्याचारों अनाचारों के मध्य संघर्षमय काल में अपने ईश्वर की भक्ति के सहारे जीवन यापन करते थे।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुगल कालीन भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति में अनेक विसंगतियां विद्यमान थीं। हिंदुओं तथा मुसलमान दोनों में ही अनेक सामाजिक एवं धार्मिक दोष विद्यमान थे। दोनों ही जातियों में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, अंधविश्वास, टोना टोटका आदि की भावनाएं व्याप्त थीं। तत्कालीन समाज में पीरों, फकीरों तथा साधुओं की पूजा होती थी। गुप्त रूप से मनुष्यों की बलि भी दी जाती थी। मनूसी के कथनानुसार मुसलमान डॉक्टर रोगियों की चिकित्सा के लिए मनुष्यों की चर्बी का प्रयोग करते थे। साधारण जनता पर जादूगरों तथा भक्तों का बड़ा प्रभाव था। मद्यपान का बड़ा प्रकोप था और व्यभिचार खूब फैला हुआ था। शिक्षा का अभाव था। दासों का बाहुल्य था, जिसने भारतीय समाज का नैतिक तथा मानसिक स्तर बहुत नीचे कर दिया था। भिक्षा मांगने की प्रथा भी उस समय जोरों शोरों से प्रचलित थी। इस प्रकार मुगल काल में देश की सामाजिक तथा धार्मिक दशा बड़ी ही शोचनीय थी और समाज का नैतिक तथा मानसिक पतन हो गया था।

REFERENCES

1. मुगलकालीन भारत- विद्याधर महाजन, एस०चन्द एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, दिल्ली।

2. भारत का इतिहास - शर्मा एवं कादरी

3. भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास - लक्ष्मी नारायण अग्रवाल

4. मध्यकालीन भारत का संक्षिप्त इतिहास - ईश्वरी प्रसाद

5. मध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति - उमाशंकर मेहरा

6. समकल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रुल इन इंडिया - एम०एम० जाफर

7. भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति - आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव आगरा 1964.

8. लाइफ एंड कंडीशन ऑफ दी पीपुल ऑफ हिंदुस्तान - के०एम० अशरफ, दिल्ली 1953.

9. मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति - डॉ० के एल श्रीवास्तव एवं जे चौबे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ 1990.

10. ए हिस्ट्री ऑफ़ मुस्लिम हिस्टोग्राफी - फ्रेंज रोसेन्थल, लंदन 1952.